रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 77] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 12, 1988/चैत्र 23, 1910

No. 77] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 12, 1988/CHAITRA 23, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(निवेश प्रभाग)

नई दिल्ली, 12 अप्रैल, 1988

संकल्प

संख्या 1/44/एस. ई./86:— यतः कुछ समय पहले से भारत सरकार प्रतिभूति बाजार के स्वस्थ विकास के निर्माण के संबंध में विचार करती चली आ रही है; और

यतः सरकार इस बात से संतुष्ट है कि प्रतिभूति बाजार के स्वस्थ और नियमित विकास को बढ़ावा देने के लिए और निवेशकों के हितों के संरक्षण के लिए एक सांविधिक शीर्ष बोर्ड की स्थापना करने के प्रयोजन से एक व्यापक कानून पारित करना आवश्यक है; और

यतः सरकार इस बात से भी संतुष्ट है कि ऐसा व्यापक कानून बनाए जाने तक एक अंतरिम निकाय को स्थापित करना और उसे संप्रवृत्त करना भी आवश्यक है, जो कि उस प्रस्तावित सांविधिक बोर्ड का पूर्वगामी संस्थान हो, जिसके साथ अन्तरिम निकाय को अन्ततोगत्वा विलयित किया जा सके अथवा उपरोक्त संस्थान के गठन के उपरान्त उस निकाय को ही सांविधिक बोर्ड के रूप में परिवर्तित किया जा सके;

अतः वित्त मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन अब भारत सरकार एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड (भा. प्र. ए. बो.) का गठन करती है।

(ii) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड की अध्यक्षता एक अध्यक्ष करेगा, जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।

(iii) अध्यक्ष तब तक पद धारण करेगा जब तक सरकार को उसके संबंध में परितोष रहेगा और उसे ऐसी शर्तों पर यह पद धारण करना होगा जिनको सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा।

(iv) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के अन्य सदस्यों, को जिनकी संख्या चार से अधिक नहीं होगी, केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किया जाएगा और वे सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे, जिनको प्रतिभूति तथा निवेश उद्योग से संबंधित अनुभव और जानकारी प्राप्त होंगे।

(v) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के अध्यक्ष को भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के कृत्यों का प्रभावपूर्ण निर्वहन करने के लिए उपयुक्त अधिकार प्राप्त होंगे। इस प्रयोजन के लिए भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड स्वयं समुचित समर्थक कर्मचारियों की व्यवस्था करेगा और पर्याप्त साधन जुटाएगा।

(vi) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड का प्रारंभिक वित्तपोषण सार्वजनिक वित्तीय तथा निवेश संस्थानों से अंशदान प्राप्त करके किया जाएगा।

(vii) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड।

(क) प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन और निवेशकों के हित संरक्षण से संबंधित समस्त मामलों के संबंध में कार्रवाई करेगा और इन मामलों पर सरकार को परामर्श देगा।

Attested

Asstt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication
Civil Lines, Delhi-6

(ख) प्रतिभूति बाजार के विनियमन और विकास के लिए व्यापक कानून तैयार करेगा ;

(ग) ऐसे समस्त कृत्यों का निर्वहन करेगा, जो कि प्रतिभूति बाजार के विकास और विनियमन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा बोर्ड/अध्यक्ष को प्रत्यायोजित किए जाएंगे।

(viii) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड अपनी कार्य प्रणाली निर्धारित करने में स्वतंत्र होगा और सरकारी तथा गैर-सरकारी निकायों से अपने कार्य संचालन के लिए उपयुक्त रेकार्ड, विवरण, टिप्पण, ज्ञापन, आंकड़े अथवा अन्य सामग्री मंगवा सकने और उनसे विचार-विमर्श आयोजित करने के लिए सक्षम होगा।

(ix) भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड का मुख्यालय बम्बई में स्थित होगा।

(x) प्रतिभूति बाजार के विभिन्न पहलुओं और ऐसे अन्य विनिर्दिष्ट मामलों पर, जिनके संबंध में सरकार निर्देश दे, भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड समय-समय पर सरकार को रिपोर्ट भी पेश करेगा।

आदेश

आदेश है कि संकल्प की एक-एक प्रति समस्त संबद्ध व्यक्तियों को प्रेषित की जाए।

आदेश है कि संकल्प को आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

Investment Division

New Delhi, the 12th April, 1988

RESOLUTION

No. 1|44|SE|86.—Whereas for sometime past the Government of India has been concerned about the healthy growth of the securities market; and

Whereas Government is satisfied that it is necessary to pass a comprehensive legislation for setting up a statutory apex Board to promote orderly and healthy growth of the securities market and for investor protection; and

Whereas the Government is satisfied that pending the enactment of such a comprehensive legislation, it is necessary to constitute and make operational an interim body as a precursor to the proposed statutory Board, with which the interim body would be ultimately marged or be converted into when the latter is constituted.

And now therefore Government of India hereby constitutes the Securities and Exchange Board of India (SEBI) under the overall administrative control of the Ministry of Finance.

(II) SEBI shall be headed by a Chairman to be appointed by the Central Government.

(III) The Chairman shall hold office during the pleasure of the Government and shall be governed by such terms and conditions as may be determined by the Government from time to time.

(IV) Other members of the SEBI, not exceeding four shall be nominated by the Central Government who shall be persons having experience and knowledge relevant to the Security and Investment Industry.

(V) The Chairman of SEBI shall have appropriate powers to discharge the functions of SEBI effectively. For this purpose, SEBI shall provide itself with suitable supporting staff and raise adequate resources.

(VI) The initial financing of the SEBI would be through contributions from the public financial and investment institutions.

(VII) SEBI shall—

(a) deal with all matters relating to development and regulation of securities market and investor protection, and advise Government on these matters.

(b) prepare a comprehensive legislation for the regulation and development of the securities market.

(c) carry out such functions as may be delegated to the Board|Chairman by the Central Government for the development and regulation of securities market.

(VIII) SEBI shall be free to determine its own procedures and will have powers to call for records, returns, notes, memoranda, data or any other material relevant to its working from official and non-official bodies and also hold discussions with them.

(IX) SEBI will have its headquarters in Bombay.

(X) SEBI shall submit reports to the Government periodically on various aspects of the securities market and on such other specific matters as may be called for by the Government.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

अधिसूचना

संख्या एफ 1(44) एस. ई./86:— राष्ट्रपति डा. एस. ए. दवे को, अभी हाल ही में गठित भारतीय प्रतिभूति तथा एक्सचेंज बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर उस तारीख से नियुक्त करते हैं जिसको वे इस पद का कार्यभार संभाल लें। नियुक्ति की शर्तों की सूचना अलग से प्रदान की जाएगी।

पी. जी. मंकड, संयुक्त सचिव

NOTIFICATION

No. F. 1|44|SE|86.—The President is pleased to appoint Dr. S. A. Dave as Chairman of the newly constituted Securities and Exchange Board of India from the date he assumes charge of the post. The terms and conditions of appointment will be communicated separately.

P. G. MANKAD, Jt. Secy.

Jt. Controller (Admn.)
Deptt. of Publication

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1988